मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3190

12.07.2019 को उत्तर के लिए

जंगली जानवरों के कारण मौतें

3190. श्री दीपक बैज :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय के पास हिंसक आवारा और जंगली जानवरों के हमले से देश में अनेक नागरिकों की मौतों के संबंध में कोई जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान सूचित लोगों की ऐसी मौतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा आवारा जानवरों को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख) वन और वन्यजीवों का प्रबंधन, संबंधित राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है और समय-समय पर देश के विभिन्न भागों से पशु-मानव संघर्ष की घटनाओं की सूचना मिलती रहती है। तथापि, विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार हाथी और बाघ के हमलों के कारण जान गंवाने वाले लोगों का विवरण **अनुबंध-I** और **II** में दिया गया है।

(ग) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए किए गए प्रमुख उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

i. संरक्षित क्षेत्रों (पीए)/वनों, जहां खराब पर्यावास, मानव-वन्यजीव संघर्ष के महत्वपूर्ण कारण के रूप में ज्ञात है, में वन्य शाकभक्षियों के लिए चारा और जल उपलब्धता में संवर्धन करने के लिए सुरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में चारा और जल के आवर्धन के लिए मंत्रालय द्वारा काम्पा के अंतर्गत एक स्कीम प्रारंभ की गई है।

ii. मंत्रालय मानव-पशु संघर्ष को न्यूनतम करने के लिए सुरक्षित क्षेत्रों के भीतर विभिन्न स्थानों पर प्राकृतिक जल निकायों की बहाली, कृत्रिम तालाबों के निर्माण, जल से भरे हुए गड्डों, भोजन/चारा स्रोतों में संवर्धन जैसे विभिन्न पर्यावास सुधार कार्यों को करने के लिए अपनी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस) नामश: 'बाघ परियोजना, 'हाथी परियोजना' और 'वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास' (आईडीडब्ल्यूयूएस) के माध्यम से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां प्रदान करता है।

iii. वन्य पशुओं और उनके पर्यावासों को संरक्षित करने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अंतर्गत देश भर में महत्वपूर्ण वन्यजीव पर्यावासों को शामिल करते हुए सुरक्षित क्षेत्रों नामश: राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्यों, संरक्षण रिजर्वों और सामुदायिक रिजर्वों का एक नेटवर्क सृजित किया गया है।

iv. फसल वाले खेतों में वन्य पशुओं के प्रवेश को रोकने के लिए कंटीली तार की बाड़, सौर विद्युत से चालित विद्युत बाड़, कैक्टस का उपयोग करते हुए जैव-बाड़, चारदीवारी आदि जैसे वास्तविक अवरोधकों का निर्माण/संस्थापना।

v. मंत्रालय ने वन्य पशुओं की संख्या के प्रबंधन के लिए 'प्रतिरक्षा-गर्भनिरोधक उपायों' को शुरू करने के लिए परियोजना अनुमोदित की है।

vi. मंत्रालय ने दिनांक 24 दिसंबर, 2014 और 1 जून, 2015 को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों के मुख्य वन्यजीव वार्डनों को मानव-वन्यजीव संघर्ष के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं।

vii. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने मानवों के साथ संघर्ष को न्यूनतम करने के लिए निम्नलिखित दो मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की हैं :

- ''मानव प्रभुत्व वाले भूदृश्यों में बाघों के अन्यत्र आ जाने के कारण उत्पन्न आपात स्थिति'' से निपटने के लिए एसओपी।
- 'मवेशियों पर बाघों के हमले' से निपटने के लिए एसओपी।

viii. संरेखीय अवसंरचरनाओं जैसे रेल की पटरियों, सड़कों/राजमार्गों और सुरक्षित क्षेत्रों और अन्य वन्यजीव प्रचुर क्षेत्रों से गुजर रही विद्युत पारेषण लाइनों के साथ-साथ के क्षेत्रों में वन्यजीव संघर्ष के शमन के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि सभी संरेखीय अवसंरचना विकास अभिकरण, डब्ल्यूआईआई दिशानिर्देश 'वन्यजीव पर संरेखीय अवसंरचना के प्रभावों का शमन करने के लिए पारिस्थितिकीय दृष्टि से अनुकूल उपाय' के आधार पर वन्यजीव मार्ग योजना प्रस्तुत करेंगे। इन दिशानिर्देशों में पारिस्थितिकीय दृष्टि से अनुकूल संरचनाएं, जो इन संरेखीय अवसंरचनाओं के आर-पार वन्यजीवों का सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करेंगे, उपलब्ध कराकर, संरेखीय अवसंरचनाओं की अभिकल्पना में संशोधन करने के सुझाव दिए गए हैं।

ix. मीडिया के विभिन्न स्वरूपों के माध्यम से सूचना के प्रसार सहित मानव-पशु संघर्ष के संबंध में आम जनता को संवेदनशील बनाने, मार्गदर्शन और परामर्श देने के लिए आवधिक जन जागरूकता अभियानों का आयोजन।

******

अनुबंध-I

गत तीन वर्षों के दौरान हाथियों द्वारा मारे गए लोग

क्र.सं.	क्षेत्र	राज्य	2016-17	2017-18	2018-19 (31.03.2019 तक)
1	एसजेड	आंध्र प्रदेश	2	6	7
2	एनई	अरुणाचल प्रदेश	एनआर	एनआर	0
3	एनई	असम	91	72	84
4	ईआर	छत्तीसगढ़	74	74	56
5	ईआर	झारखंड	59	84	87
6	एसजेड	कर्नाटक	49	22	12
7	एसजेड	केरल	33	15	27
8	एसजेड	महाराष्ट्र	0	0	1
9	एनई	मेघालय	5	7	3
10	एनई	नागालैंड	1	0	1
11	ईआर	ओडिशा	66	105	72
12	एसजेड	तमिलनाडु	43	49	47
13	एनई	त्रिपुरा	2	0	0
14	एनजेड	उत्तर प्रदेश	3	1	0
15	एनजेड	उत्तराखंड	4	5	3
16	एनई	पश्चिम बंगाल	84	66	52
कुल			**516**	**506**	**452**

अनुबंध-II

गत तीन वर्षों के दौरान बाघ मानव संघर्ष में मारे गए लोगों की संख्या

क्रम सं.	राज्य	2016	2017	2018
1	आंध्र प्रदेश	0	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
3	असम	1	1	1
4	बिहार	0	0	0
5	छत्तीसगढ़	0	0	0
6	झारखंड	0	0	0
7	कर्नाटक	0	0	1
8	केरल	0	0	0
9	मध्य प्रदेश	10	5	2
10	महाराष्ट्र	19	7	0
11	मिजोरम	0	0	0
12	ओडिशा	0	0	2
13	राजस्थान	0	0	2
14	तमिलनाडु	1	0	0
15	तेलंगाना	0	0	0
16	उत्तर प्रदेश	15	19	5
17	उत्तराखंड	2	0	1
18	पश्चिम बंगाल	14	12	15
वर्ष-वार कुल		**62**	**44**	**29**

****